

[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 92 /2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. (अ),- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 79/2014-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 16 सितम्बर, 2014, जिसे सा.का.नि. 656 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत प्रकाशित किया गया था का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा निम्न सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित सारणियों के आयुक्त, सीमा शुल्क (अपील) के रूप में नियुक्त करता है जिनका उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अपने अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों या निर्णयों के संबंध में अधिकार क्षेत्र होगा, यथा :-

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), दिल्ली	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (पत्तन एवं सामान्य), दिल्ली; (ii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो काम्प्लेक्स, (आयात), दिल्ली; (iii) आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो काम्प्लेक्स, (निर्यात), दिल्ली; (iv) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद (आयात), दिल्ली; (v) सीमा शुल्क आयुक्त, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद (निर्यात), दिल्ली; (vi) सीमा शुल्क आयुक्त, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, पटपडगंज और अन्य इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, दिल्ली; और (vii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली.
2.	आयुक्त सीमा शुल्क (अपील) मुंबई-I	(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य), मुंबई जोन-I; (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात-I) मुंबई जोन-I;

		<p>(iii) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात-II), मुम्बई जोन-I; और</p> <p>(iv) सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), मुम्बई जोन-I;</p>
3.	आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), मुंबई-II	<p>(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावाशेवा-I), मुम्बई जोन-II;</p> <p>(ii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावाशेवा-II), मुम्बई जोन-II;</p> <p>(iii) सीमा शुल्क आयुक्त (न्हावाशेवा-III), मुम्बई जोन-II;</p> <p>(iv) सीमा शुल्क आयुक्त (न्हावाशेवा-IV), मुम्बई जोन-II;</p> <p>(v) सीमा शुल्क आयुक्त (न्हावाशेवा-V), मुम्बई जोन-II; और</p> <p>(vi) सीमा शुल्क आयुक्त (न्हावाशेवा- सामान्य), मुम्बई जोन-II;</p>
4.	आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), मुंबई -III	<p>(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I) - (पत्तन), मुम्बई जोन-III;</p> <p>(ii) सीमा शुल्क आयुक्त (II) - (विशेष कार्गो पत्तन), मुम्बई जोन-III;</p> <p>(iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III) - (एयर कार्गो काम्प्लेक्स-आयात), मुम्बई जोन-III;</p> <p>(iv) सीमा शुल्क आयुक्त (IV) - (एयर कार्गो काम्प्लेक्स-निर्यात), मुम्बई जोन-II;</p> <p>(v) सीमा शुल्क आयुक्त (V) - (एयर कार्गो काम्प्लेक्स-सामान्य), मुम्बई जोन-III; और</p> <p>(vi) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), मुम्बई;</p>
5.	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (अपील-I), चेन्नई	<p>(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), पत्तन, चेन्नई;</p> <p>(ii) सीमा शुल्क आयुक्त (II), चेन्नई;</p> <p>(iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई;</p> <p>(iv) सीमा शुल्क आयुक्त (IV), चेन्नई;</p> <p>(v) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो काम्प्लेक्स, चेन्नई; और</p> <p>(vi) सीमा शुल्क आयुक्त (VIII) (सामान्य), चेन्नई;</p>
6.	मुख्य आयुक्त (अपील-II), सीमा शुल्क, चेन्नई	<p>(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), पत्तन, चेन्नई;</p> <p>(ii) सीमा शुल्क आयुक्त (II), चेन्नई;</p> <p>(iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई;</p> <p>(iv) सीमा शुल्क आयुक्त (IV), चेन्नई;</p>

		(v) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो काम्प्लेक्स, चेन्नई; और (vi) सीमा शुल्क आयुक्त (VIII) (सामान्य), चेन्नई;
7.	आयुक्त सीमा शुल्क (अपील) बेंगलुरु	(i) आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु (ii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, पत्तन और एयर कार्गो काम्प्लेक्स, बेंगलुरु; और (iii) सीमा शुल्क आयुक्त, मंगलौर;
8.	आयुक्त सीमा शुल्क (अपील) अहमदाबाद	(i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क अहमदाबाद; (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर; (iii) सीमा शुल्क आयुक्त, काण्डला; और (iv) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, मुन्द्रा
9.	सीमा शुल्क आयुक्त (अपील), कोलकाता	(i) प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (पत्तन), कोलकाता; (ii) प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (एयरपोर्ट और एयर कार्गो काम्प्लेक्स), कोलकाता; और (iii) सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), पश्चिम बंगाल
10.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), जम्मू	सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), अमृतसर
11.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), जयपुर	सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जोधपुर
12.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), लुधियाना	सीमा शुल्क आयुक्त, लुधियाना
13.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), पटना	सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), पटना
14.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), लखनऊ	सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), लखनऊ
15.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोयम्बटूर	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), तिरुचिरापल्ली; और (ii) सीमा शुल्क आयुक्त, तूतिकोरिन
16.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोची	(i) सीमा शुल्क आयुक्त, उत्तरी केरल, कोचीन; और (ii) सीमा शुल्क आयुक्त, दक्षिणी केरल, कोचीन
17.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), गुवाहाटी	सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), शिलांग
18.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील-I), हैदराबाद	प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त, हैदराबाद
19.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय	सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), भुवनेश्वर

	उत्पाद शुल्क (अपील), भुवनेश्वर	
20.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), नोएडा	प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त, नोएडा
21.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), गुंटूर	(i) प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम; और (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), विजयवाड़ा
22.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील-I), पुणे	सीमा शुल्क आयुक्त, पुणे
23.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), गोवा	सीमा शुल्क आयुक्त, गोवा
24.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), नागपुर	सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर
25.	सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), इंदौर	सीमा शुल्क आयुक्त, इंदौर

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से लागू होगी ।

[फा.सं. 437/48/2014- सीमा शुल्क IV]

(जेड. आर. कामिली)
निदेशक (सीमा शुल्क)